

कार्यालय- नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद-भदोही

दिनांक 02/05/2026

पत्रांक - 194 / न0पा0परि0भ0 / 2026

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

कृपया जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति के उपरान्त नगर पालिका परिषद भदोही में "राज्य वित्त मद, 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद व मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना" के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्तें वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 06/05/26 से दिनांक 19/05/26 तक उपलब्ध रहेगी। निविदा के साथ धरोहर धनराशि (कार्य के सम्मुख अंकित धनराशि को निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 45106092829 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड- SBIN0001088 है एवं निविदा शुल्क (कार्य के सम्मुख अंकित शुल्क को निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 11193060148 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड- SBIN0001088 है, में निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के बैंक खाते से उपरोक्तानुसार अलग-अलग खाते में जमा करते हुए UTR नम्बर अथवा पावती पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्व-प्रमाणित प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा) के रूप में जो शर्तों में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित स्वयं प्रमाणित कर दिनांक 19/05/26 तक E-tender आवेदन कर सकते हैं तदनुपरान्त प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 20/05/26 को अपराह्न 02:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। किसी कारणवश अवकाश होने पर निविदा तिथि अगला कार्य दिवस मानी जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
राज्य वित्त मद-					
1	वार्ड नं0-01 कुशियरा मो0 बैदान बस्ती में भरत के मकान से नागेन्द्र बिन्द के कम्पनी होते हुए संतलाल सरोज के मकान तक सी0सी0 मार्ग व नाली का निर्माण कार्य।	39.61	3.96	4673	03 माह
2	वार्ड नं0-07 दरोपुर मो0 गुलौरा में बाईपास रोड पर अमरनाथ गौतम के मकान से प्रेमचन्द गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.48	0.55	1180	03 माह
3	वार्ड नं0-07 दरोपुर मो0 जाहिदपुर शहाबाबाद में बाई पास रोड से पश्चिम पटरी पर शिव शंकर यादव के कम्पनी से मथुरापुर चौराहा तक भूमिगत नाला का निर्माण कार्य।	9.97	1.00	1195	03 माह
4	वार्ड नं0-14 छेड़ीबीर में वसीर के मकान से सरफुददीन व हसनैन के मकान होते हुए जावेद के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.20	0.82	1190	03 माह
5	वार्ड नं0-14 छेड़ीबीर मो0 सरैया में ज्ञानपुर रोड पटरी पर अनिल केशरी के गेट से मीना गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.98	1.00	1198	03 माह
6	वार्ड नं0-16 रजपुरा में बाईपास रोड पर महिन्द्रा एजेन्सी से मनीष मौर्या के मकान तक भूमिगत नाला व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.48	1.15	1355	03 माह
7	वार्ड नं0-16 रजपुरा में रजपुरा इन्दिरामिल बाईपास मार्ग पर दक्षिण पटरी पर सहारा अस्पताल से रिलायन्स पेट्रोल पम्प होते हुए दुर्गावती धर्मकाटा तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	49.70	4.97	5865	03 माह
8	वार्ड नं0-16 रजपुरा में रजपुरा से औराई मार्ग पर पूरब पटरी पर शोभा कलेक्शन से हनुमान जी मंदिर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	41.56	4.16	4904	03 माह

9	वार्ड नं० 19 कटरा बाजार में बसन्त लाल गुप्ता के मकान से अतुल गुप्ता के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	14.33	1.43	1691	03 माह
10	वार्ड नं०-20 जलालपुर दक्षिणी मो० हिम्मतपुर बकुचिया में नवाद के मकान से झांगूर व इम्तियाज के मकान होते हुए बंगाली व पप्पू के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क का मरम्मत कार्य।	15.97	1.60	1884	03 माह
02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद-					
11	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी में आयुष्मान अरोग्य मंदिर कुकरौठी के परिसर में टीन शेड का निर्माण कार्य।	5.66	0.57	1185	03 माह
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना-					
12	वार्ड नं०-06 डुडवा कुकरौठी मो० सोनकर बस्ती में ऊदल के मकान से सलमा के मकान होते हुए सुरेश के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	16.68	1.67	1970	03 माह
13	वार्ड नं०-12 घमहापुर मो० महबूबपुर में रामधनी यादव के मकान से प्राथमिक विद्यालय होते हुए बनवासी बस्ती में तिलकधारी के मकान तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	31.43	3.14	3720	03 माह

निविदा हेतु शर्त:-

- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क की धनराशि को निकाय के खाते में निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के बैंक खाता से जमा करते हुए UTR नम्बर अथवा पावती पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क जमा करने हेतु निकाय के खाते का विवरण निम्नवत् है-

धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाता का विवरण		निविदा शुल्क जमा करने हेतु खाता का विवरण	
Beneficiary Name	M/S Municipal Board Bhadohi	Beneficiary Name	Nagar Palika Parisha Bhadohi
Bank Name	State Bank of India	Bank Name	State Bank of India
Branch	Bhadohi	Branch	Bhadohi
Account Number	45106092829	Account Number	11193060148
IFSC Code	SBIN0001088	IFSC Code	SBIN0001088

- निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसके उपरान्त न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न निविदा शुल्क की मूल प्रति एवं निर्धारित 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि का एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/ट्रेजरी चालान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि को निकाय के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ जी०एस०टी० पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व० प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
- कार्यो की ई-निविदा टू-बिड सिस्टम तकनीकी बिड व फाइनेन्सियलबिड में अलग-अलग अपलोड करना होगा।
- ई-निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड स्वीकृत होने के उपरान्त ही फाइनेन्सियलबिड पर विचार किया जायेगा।
- ई-निविदा प्रक्रिया में फाइनेन्सियलबिड खुलने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर स्कैन किये हुए दस्तावेज का मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं०-14/2024/692/23-07-2024 लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2024 के अनुसार (1) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी०ओ०क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई भी अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। (2) यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी०ओ०क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी ली जायेगी, जिसे ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

(क) 100/- ₹0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।

(ख) 10/- ₹0 के एकल गैर- न्यायिकस्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।

(ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 हैसियत प्रमाण पत्र निविदा की लागत से कम की न हो, की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।

(ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं०, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।

15. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।

16. निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

17. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।

18. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

19. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।

20. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।

21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष ज्ञनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

23. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

25. कराये गये कार्य की गुणवत्ता की जाँच जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित अनुश्रवण समिति से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् कार्य के भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी।

26. कराये गये कार्य के पहले फिर बीच के कार्य व कराये जाने के बाद की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराकर कार्यालय में अभिलेख/पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेगें।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, भदोही